उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2

संख्या-07/2017-आडिट-2-1197/दस-2017-360(9)/2016

लखनऊ :: दिनांक 16 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

एतद्द्वारा श्रीमती प्रीति कृष्ण, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, आगरा मण्डल, आगरा को दिनांक 16-11-2016 से 09-04-2017 तक कुल 145 दिवस का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त अवकाश के पश्चात् श्रीमती प्रीति कृष्ण के अवकाश खाते में कुल 59 दिवस का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा।

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-जी-2-2017/79, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में निहित व्यवस्था के अनुसार श्रीमती प्रीति कृष्ण, उप निदेशक को दिनांक 20-07-2017 से 20-07-2018 तक कुल 366 दिवस का बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रथम बार प्रदान की जाती है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती प्रीति कृष्ण यदि उक्त अवधि में अवकाश पर न जाती तो वह अपने पद पर यथावत कार्य करती रहतीं।

4- उपरोक्त के दृष्टिगत उप निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा के रिक्त पद पर श्रीमती प्रीति कृष्ण के बाल्य देखभाल अवकाश पर रहने की अवधि तक श्री शिव प्रसाद गर्ग, उप निदेशक, अलीगढ मण्डल, अलीगढ को उनके उप निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा तथा मण्डलान्तर्गत स्थित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालयों (जिनमें जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- श्री शिव प्रसाद गर्ग, उप निदेशक, अलीगढ मण्डल, अलीगढ को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

कुमुदलता श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

---2---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-07/2017/आडिट-2/1197(1)/दस-2017-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
5- श्रीमती प्रीति कृष्ण, उप निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र, इलाहाबाद।
6- श्री शिव प्रसाद गर्ग, उप निदेशक, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
7- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।